प्रकरण ८ पुलिस बल

देशांतर्गत शांति तथा सुरक्षा रखने हेतु विविध प्रकार के पुलिस बल होते हैं । इनमें प्रमुखता से भारत के प्रत्येक घटक राज्य का स्वतंत्र पुलिस बल होता है । इन्हीं के साथ राज्य में आपात्कालीन स्थिति निर्माण होने पर सार्वत्रिक चुनाव, त्योहार, पर्व तथा प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित संकटकाल में नागरी प्रशासन को कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य पुलिस संगठन सहायता करती हैं । इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बल का समावेश होता है :

अ) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF) : केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करने वाला सबसे बृहद अर्द्ध सैनिक बल है । इस बल की स्थापना १९३९ में हुई । इस बल के प्रमुख 'महानिदेशक केंद्रीय आरक्षित पुलिस' होते हैं । इस बल ने गौरवशाली सेवा दी है । केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के कुल २४० बटालियन्स हैं तथा उसमें छह महिला बटालियन्स हैं । वे देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं ।

कार्य :

(१) देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण होने पर अथवा राज्य में तथा केंद्रशासित प्रदशों में कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के कार्य में आवश्यकतानुसार सहयोग करना ।

(२) प्राकृतिक आपदाओं के काल में नागरिकों की सहायता करना ।

(३) देशद्रोहियों के विरोध में उनको ध्वस्त करना ।

(४) युद्धकाल में सुरक्षा बल की सहायता करने हेतु दुय्यम सुरक्षा का कार्य करना आदि ।

ब) राज्य आरक्षित पुलिस बल : (SRPF) राज्य आरक्षित पुलिस बल भारत के प्रत्येक राज्य के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है । यह साधारण पुलिस बल के अलावा सशस्त्र पुलिस बल है । उसे ही राज्य आरक्षित पुलिस बल अथवा एस. आर. पी.एफ. तो किसी राज्य में प्रांतीय रक्षक बल के नाम से पहचाना जाता है । इस बल के प्रमुख डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आर्मड पुलिस पद के अधिकारी होते हैं । राज्य आरक्षित पुलिस बल में अपने-अपने राज्य से भर्ती की जाती है । प्राथमिक तथा विशेष प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद उन्हें जिम्मेदारी के कार्य दिए जाते हैं । राज्य में स्थायी स्वरूप की छावनियों में इनका प्रशिक्षण शुरू रहता है । युद्धकाल में उन्हें दुय्यम सुरक्षा के कार्य करने पड़ते हैं ।

कार्य :

(१) उत्पात मचाने वाले तथा समाजकंटक गुटों का बंदोबस्त करना ।

(२) राज्य पुलिस को कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायता करना ।

(३) समाज विघातक नक्सलवादी जैसी सशस्त्र टोलियों का 'बंदोबस्त' करना, आदि ।

क) गृहरक्षक बल (होमगार्ड) : होमगार्ड एक स्वयंसेवी संगठन है । इसकी स्थापना १९४८ में केंद्रीय गृहमंत्रालय के नियंत्रण में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में हुई है । इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों का सहभाग होता है । संगठन को इनके अनुभवों का लाभ प्राप्त होता है । होमगार्ड ऐच्छिक सेवा है । होमगार्ड को नागरी व्यवस्थापन को सहायता करने वाले संगठन के रूप में देखा जाता है । राज्य के होमगार्ड कानून तथा नियमों के अनुसार होमगार्ड का व्यवस्थापन तथा संगठन शुरू रहता है । होमगार्ड संगठन के प्रमुख को 'कमांडेंट जनरल होमगार्ड' कहा जाता है । यह संगठन जिला, तहसील, ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है । प्रत्येक विभाग में होमगार्ड की भर्ती की जाती है । इसमें पुरुष और महिला स्वयंसेवकों का समावेश होता है । उनका 'शहरी' तथा 'ग्रामीण' ऐसा वर्गीकरण किया जाता है । इसके अनुसार इन्हें लगातार १० से ४२ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है । वैसे ही साप्ताहिक कवायद तथा आठ दिनों का पुनराभ्यास शिविर पूर्ण करना पड़ता हैं ।

कार्य :

(१) राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कानून तथा सुव्यवस्था, यातायात नियंत्रण, जनसंपत्ति की रक्षा आदि कार्यों में सहायता करना ।

(२) सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

(३) त्योहार एवं पर्व, जुलूस, सभाओं के दरम्यान कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरी प्रशासन की सहायता करना ।

(४) प्राकृतिक आपदाओं के तथा देशांतर्गत बम विस्फोट के समय जनता की सहायता करने, उसका मनोधैर्य कायम रखने में मदद करना ।

(५) जातीय सौहार्द निर्माण करने, समाज को भयमुक्त करने के कार्य में सहभागी होना आदि ।

ड) नागरी सुरक्षा (Civil Defence): शत्रु के हवाई हमलों से अपने देश की जीवित तथा स्थायी संपत्ति की रक्षा करने के लिए जो संगठन बचाव कार्य करता है उस संगठन को नागरी सुरक्षा संगठन कहते हैं । विस्तार से बड़े आकारयुक्त भारत में नागरी सुरक्षा प्रत्येक राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती है । नागरी सुरक्षा संगठन की नीति, नियंत्रण तथा कार्रवाई पूरे देश के स्तर पर होना जरूरी होता है । यह जिम्मेदारी 'महानिदेशक नागरी सुरक्षा' की है और राज्य में 'निदेशक नागरी सुरक्षा' की होती है ।

नागरी सुरक्षा सेवा की रचना केंद्र, राज्य तथा जिला त्रिस्तरीय होती है । इन स्तरों पर उनका कार्य जारी रहता है । इसमें सुरक्षा सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी, सार्वजनिक संगठन के नेता, औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारी, डाक विभाग, टेलिग्राफ सेवा के अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तथा तंत्रज्ञों का अंतर्भाव होता हैं ।

कार्य : शत्रु द्वारा किए गए हवाई हमलों में जीवित तथा आर्थिक हानि न हो इसलिए नागरी सुरक्षा संगठन निम्न कार्य करता है ।

(१) शत्रु द्वारा फेंके गए बम को निरुपयोगी बनाना ।
(२) सूचना देने वाली यंत्रणा कार्यान्वित करना ।
(३) कार्य का विभाजन करना ।
(४) प्रकाशबंदी (Black out) करना ।
(५) घायलों की वैद्यकीय सहायता करना ।
(६) आग बुझाना ।
(७) संसाधनों की रक्षा करना ।
(८) सैनिक कल्याण केंद्र की स्थापना करना आदि ।

उपक्रम

(१) पुलिस के साक्षात्कार लीजिए ।

(अ) पुलिस का नाम तथा पद

.....

.....

(ब) वर्तमान कार्यरत पुलिस थाना तथा विभाग

.....

.....

(क) सेवा कालावधि

.....

.....

(ड) शिक्षा-प्रशिक्षण

.....

.....

(इ) सेवा काल के अनुभव

.....

(ई) युवकों के लिए संदेश

.....

.....

.....

.....

२. समीप के पुलिस थाने की क्षेत्रभेंट करें । एवं वहाँ के कार्य की जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखिए ।

JCDY4L